न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारीः— श्री निवृति आव्हाद सोमनाथ, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 129/2024 राजस्व वाद
श्री दूधाधारी जी महाराज स्थान देह सांगानेरी गेट भीलवाड़ा (राजस्थान) जगद्गुरू श्री निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्री श्रीजी महाराज श्री श्यामशरण देवाचार्य जी महाराज (सलेमाबाद) निम्बार्क तीर्थ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राजस्थान)
————————वादी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
3—श्रीमान् आयुक्त महोदय, नगर परिषद, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
————प्रतिवादीगण

————————

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1—श्री नंदकिशोर शर्मा, — अधिवक्ता—वादी
2—श्री भैरूलाल बैरवा, — अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 3

:: निर्णय :: दिनांकः— 09.09.2024

संक्षिप्त में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में साबिक आराजी खसरा नम्बर 972/2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि श्री दूधाधारी स्थान देह खातेदार जरिये माधूदास पिता किशन दास बैरागी के नाम जमाबंदी महक्मा बन्दोबस्त राज्य उदयपुर मेवाड़ में दर्ज रेकार्ड हैं। जरिये इंतकाल नम्बर 14134 दिनांक 19.10.1939 के द्वारा खालसा सिबूत नहीं होने से खालसा की जाकर खड़म ठाकुर जी के नाम बहक बापी दर्ज करने की स्वीकृति हुई । साबिक आराजी नम्बर 972/2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा के हाल नम्बर 3732 / 1862 रकबा 17 बिस्वा कायम होकर भूमि बिलानाम दर्ज की गयी। जिसे तत्कालीन महन्त दीनबन्धुशरण गुरू गोपालदास जी महाराज ने श्री दूधाधारी जी स्थान देह के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु सहायक भू—प्रबन्ध अधिकारी महोदय, भीलवाड़ा के यहॉ आवेदन किया गया। उक्त आवेदन पर ए.एस.ओ. साहब भीलवाड़ा ने प्रकरण संख्या 2/75 दिनांक 08.01.1975 को दर्ज कर पत्रावली मौका स्थिति की रिपोर्ट भू—मापक से ली गयी । जिसमें भू—मापक ने उक्त आराजी नम्बर 972/2 का रकबा बिलानाम आबादी आराजी नम्बर 1862 में मिला दिया गया। भू—मापक की रिपोर्ट के आधार पर आराजी नम्बर 1862 रकबा 17 बिस्वा भूमि पर कब्जा श्री दूधाधारी जी स्थान देह का बताया गया। जिस पर सहायक भू—प्रबन्ध अधिकारी, भीलवाड़ा ने बिलानाम आबादी आराजी नम्बर 1862 में से 17 बिस्वा भूमि वादी के नाम दर्ज करने का आदेश दिनांक 6.2.1975 को जारी किया गया। सहायक भू—प्रबन्ध अधिकारी, भीलवाड़ा के आदेश से बन्दोबस्त खसरा मिलान की प्रविष्टि संख्या 24 में श्री दूधाधारी जी स्थान देह खातेदार सरबराकार दीनबन्धुशरण गुरू गोपाल दास दर्ज किया गया।

Ahad
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

वादी की आराजी साबिक खसरा नम्बर 972/2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि थी। जिसकी नवीन जरीब अनुसार आराजी खसरा नम्बर 3732/1862 का रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि दर्ज होनी चाहिये। उसके बजाय नवीन सेटलमेंट में आराजी खसरा नम्बर 3732/1862 का रकबा 17 बिस्वा ही दर्ज किया गया। यानि 6 बिस्वा भूमि कम दर्ज वादी के खाते में कम दर्ज की गयी। अतः वादी के खाते में 6 बिस्वा भूमि कम दर्ज की गयी वह भूमि वादी अपने नाम पर पुनः दर्ज कराने का अधिकारी हैं। क्योंकि कमी रकबा 6 बिस्वा भूमि बन्दोबस्त विभाग ने बिलानाम आबादी नगर परिषद, भीलवाड़ा के नाम पर दर्ज कर दी हैं। जिसे वादी श्री दूधाधारी स्थान देह के नाम पर पुनः दर्ज कराने का अधिकारी हैं। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी भीलवाड़ा ने बन्दोबस्त के समय नवीन आराजी नम्बर 3732/1862 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा के बजाय 17 बिस्वा ही दर्ज किया गया। यानि 6 बिस्वा भूमि उक्त आराजियात के दक्षिण तरफ आबादी भूमि आराजी नम्बर 1862 में मिला दिया है। आराजी नम्बर 3732/1862 में 17 बिस्वा भूमि श्री दूधाधारी स्थान देह के नाम दर्ज है जो नाबालिग मूर्ति है जो श्री निम्बार्क सम्प्रदाय से संबंधित स्थान है जिसके वर्तमान आचार्य जगद्गुरू निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्यामशरण देवाचार्य जी है । वादी कमी रकबा 6 बिस्वा भूमि मंदिर मूर्ति श्री दूधाधारी जी महाराज के नाम दर्ज कराने बाबत जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा एवं भूमिधारी तहसीलदार, भीलवाड़ा को दिनांक 4.12.2023 को स्पीड पोस्ट से नोटिस जरिये अधिवक्ता के दिया गया । लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने आज दिन तक कमी रकबा 6 बिस्वा भूमि बिलानाम आबादी आराजी नम्बर 1862 में से वादी के नाम दर्ज नहीं । जिससे वादी को यह वाद पत्र प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत करना पड़ा। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के सादिर फरमाई जावें।

वादी का वाद पत्र दिनांक 2.7.2024 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अधिकार पत्र श्री भैरूलाल बैरवा, अधिवक्ता ने अधिकार दिनांक 8.7.2024 को प्रस्तुत किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रतिवादी संख्या 3 ने जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया। वकील वादी ने शीघ्र सुनवाई किये जाने बाबत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 2.9.2024 को प्रस्तुत किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया, तथा नकल वकील प्रतिवादी संख्या 3 को दी गयी। वकील प्रतिवादी संख्या 3 ने शीघ्र सुनवाई किये जाने के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं कर नो–ऑबजेक्शन किया गया। प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों ने बहस करनी चाही। उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। न्याय हित में प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र दिनांक 2.9.2024 को स्वीकार किया जाकर जवाबदावा हेतु पत्रावली दिनांक 4.9.2024 को नियत की गयी वकील प्रतिवादी संख्या 3 ने जवाबदावा प्रस्तुत किया, जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर नकल वकील वादी को दी गयी । वकील प्रतिवादी संख्या 3 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वकील वादी के वाद पत्र में वादी द्वारा चाही गयी दादरसी के अनुसार वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तो कोई आपत्ति एवं एतराज नहीं किया हैं।

वकील वादी ने वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी महक्मा बन्दोबस्त राज्य उदयपुर–मेवाड़ सम्वत् 1985 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदर्श–1, भू–प्रबन्ध विभाग के आज्ञा पत्र के निर्णय की प्रति, नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति सम्वत् 1983 सन् 1927 ईस्वीं, वर्तमान जमाबंदी की नकल सम्वत् 2075 से 2078 की नकल, नक्शा ट्रेस की छाया प्रति प्रमाणित, जमाबंदी की नकल सम्वत् 2075 से 2078 नगर परिषद, भीलवाड़ा के नाम दर्ज, दफा 80 जा.दी. के नोटिस की नकल व प्राप्ति रसीदे प्रस्तुत की। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादी द्वारा औरं कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया।

वकील वादी ने वादपत्र की ताईद में गवाह वादी श्रीश्याम शरण देवाचार्य के पॉवर ऑफ अॅटार्नी के तहत श्री कल्याण राय पी.डब्लू.1, तथा श्री कल्याण राय पुजारी पी. डब्लू. 2 ने वाद पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र प्रस्तुत कियें । जिसे शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादी द्वारा और कोई गवाहान के शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

वकील प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से वाद पत्र के खण्डन में न तो कोई दस्तावेज ही प्रस्तुत किये, और न ही कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत की । इस कारण प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया।

उभय पक्षों ने बहस करनी चाही। उभय पक्षों की बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों, दस्तावेजो व साक्ष्य के आधार पर वादी के वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

जबकि वकील प्रतिवादी संख्या 3 ने वाद पत्र के खण्डन में प्रस्तुत जवाबदावें के आधार पर वादी को कोई दादरसी दी जाकर वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तो हम प्रतिवादी को कोई एतराज व आपत्ति नहीं है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित होकर साबिक आराजी नम्बर 972/2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा किस्म भू0 श्री दूधाधारी स्थान देह माधोदास गुरू किशनदास बैरागी साकिन देह के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। जिसकी ताईद खसरा महक्मा बन्दोबस्त राज्य उदयपुर मेवाड़ सम्वत् 1985 की प्रमाणित प्रति से होती हैं। साबिक आराजी नम्बर 972/2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा के हाल नम्बर 3732/1862 रकबा 17 बिस्वा कायम होकर बिलानाम दर्ज रेकार्ड की गयी। तथा श्री दूधाधारी जी महाराज स्थान देह खातेदार सरबराकार दीनबन्धु गुरू गोपालदास खाकी देह के दर्ज हुई, व जरिये मिसल नम्बर 2/75 दिनांक 6.2.75 से बिलानाम से दीनबन्धुशरण के नाम दर्ज हुई। जिसकी ताईद प्रस्तुत खसरा मिलान की प्रमाणित प्रति से होती है। हाल आराजी नम्बर 3732/1862 रकबा 0.2150 किस्म बारानी श्री दूधाधारी जी महाराज स्थान देह के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत् 2075 से 2078 से होती है। वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी महोदय, भीलवाड़ा के यहॉ प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुये प्रकरण संख्या 2/75 दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 6.2.75 को निर्णय पारित किया गया। जिसमें हाल आराजी नम्बर 1862 में से 17 बिस्वा भूमि बिलानाम से खारीज कर श्री दूधाधारी जी स्थान देह खातेदार सरबराकर दीनबन्धुशरण गुरू गोपालदास के नाम दर्ज की जाने का आदेश पारित किया गया। जिसकी ताईद प्रस्तुत प्रमाणित प्रति से होती हैं। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में हाल आराजी नम्बर 1862 रकबा 69.5349 हैक्टयर किस्म आबादी के दर्ज रेकार्ड हैं। जिसके खातेदार नगर परिषद भीलवाडा के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। जिसकी ताईद राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत् 2075 से 2078 से होती हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार विवादित आराजियात का साबिक रेकार्ड के अनुसार वादी के नाम आराजी नम्बर 972/2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि दर्ज थी। किन्तु दौराने सेटलमेंट के दौरान साबिक आराजी नम्बर 972/2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा के हाल नम्बर 3732/1862 रकबा 17 बिस्वा कायम हुये। जबकि राजस्व रेकार्ड वादी के नाम नियमानुसार हाल आराजी नम्बर 3732/1862 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा दर्ज होनी चाहिये। क्योंकि मौके पर वादी का ही कब्जा व आधिपत्य हैं।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

जिसकी ताईद वादी के गवाहान ने अपने द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्रों में की हैं। लेकिन उक्त रकबा दर्ज नहीं होकर केवल मात्र 17 बिस्वा भूमि ही दर्ज की गयी। जबकि नगर परिषद, भीलवाड़ा ने अपने जवाबदावे में स्वीकार किया कि हाल आराजी नम्बर 1862 रकबा 69.5349 हैक्टयर भूमि में से 6 बिस्वा भूमि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जाती है तो इस पर कोई आपत्ति व एतराज प्रकट नहीं किया हैं। ऐसी स्थिति में वादी 6 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी हैं। क्योंकि वादी का रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना चाहिये। जबकि यह रकबा दर्ज नहीं होकर केवल मात्र 17 बिस्वा रकबा ही दर्ज हुआ। इस कारण वादी प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज रकबे में से 6 बिस्वा भूमि वादी अपने नाम राजस्व रेकार्ड में हाल आराजी नम्बर 3732/1862 के दक्षिण तरफ आराजी नम्बर 1862 में से 6 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी होकर प्रतिवादी संख्या 3 के खाते में से कम की जाना न्यायोचित हैं। प्रतिवादी संख्या 3 ने वादपत्र के खण्डन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की हैं। बल्कि जवाबदावे में स्वीकार कर 6 बिस्वा भूमि वादी के नाम दर्ज करने पर सहमति प्रदान की हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ अतः

:: आ दे श ::

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 3732/1862 रकबा 17 बिस्वा के बजाय 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उसी अनुसार भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के खातेदारी आराजी नम्बर 1862 रकबा 69.5349 हैक्टयर भूमि में से उत्तर दिशा की तरफ आराजी नम्बर 3732/1862 से लगती हुई भूमि का रकबा 6 बिस्वा (0.0760हैक्टेयर) भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के ,खाते में से कम की जाकर वादी के नाम रकबा 17 बिस्वा (0.2150 हैक्टेयर) के बजाय रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा (0.2910 हैक्टेयर) भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। उसी अनुसार भूमि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करते हुये नक्शे में भी उत्तर दिशा की तरफ तरमीम की जावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

(निवृति अल्हाद सोमनाथ)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 09.9.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राजस्थान)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा.दी.)
श्री निवृति आव्हाद सोमनाथ, आई.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा (राजस्थान)
मुकदमा नम्बरः– 129 / 2024 राजस्व वाद

श्री दूधाधारी जी महाराज स्थान देह सांगानेरी गेट भीलवाड़ा (राजस्थान) जगद्गुरू श्री निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्री श्रीजी महाराज श्री श्यामशरण देवाचार्य जी महाराज (सलेमाबाद) निम्बार्क तीर्थ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राजस्थान)

बनाम ————वादी

1–राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
3–श्रीमान् आयुक्त महोदय, नगर परिषद, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

————प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1–श्री नंदकिशोर शर्मा – एडवोकेट–वादी
2–श्री भैरूलाल बैरवा – एडवोकेट–प्रतिवादीसंख्या 3

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दिनांक 09.09.2024 को स्वीकार किया जाकर ग्राम भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 3732 / 1862 रकबा 17 बिस्वा के बजाय 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उसी अनुसार भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के खातेदारी आराजी नम्बर 1862 रकबा 69.5349 हैक्टयर भूमि में से उत्तर दिशा की तरफ आराजी नम्बर 3732 / 1862 से लगती हुई भूमि का रकबा 6 बिस्वा (0.0760हैक्टेयर) भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के ,खाते में से कम की जाकर वादी के नाम रकबा 17 बिस्वा (0.2150 हैक्टेयर) के बजाय रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा (0.2910 हैक्टेयर) भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। उसी अनुसार भूमि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करते हुये नक्शे में भी उत्तर दिशा की तरफ तरमीम की जावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

(निवृति आव्हाद सोमनाथ)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा (राजस्थान)

आज दिनांक 09.9.2024 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से जारी की गयी ।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राजस्थान)